निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 44/2020 दावा
दायरा दिनांक 20.08.2020
निर्णय दिनांक :– 9.9.21

उनवान

1. जगदीश पुत्र श्री हरलाल जाति नाथ
2. नागेश्वर पुत्र श्री हरलाल जाति नाथ निवासीगण ग्राम रटावद तहसील बारां
3. श्रीमति मिथलेश पुत्री हरलाल पत्नी श्री हेमराज जाति नाथ निवासी रटावद तहसील बारां हाल निवासी बिलासद तहसील खानपुर जिला झालावाड़
4. श्रीमति संतोष पुत्री हरलाल पत्नी श्री महेश जाति नाथ निवासी ग्राम रटावद तहसील बारां हाल निवासी माथना तहसील बारां।
5. कार्तिक
6. भारती
7. आरती पुत्रियां रामप्रताप जाति नाथ नाबालिग जरिये वली मामा जगदीश पुत्र श्री हरलाल

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र बाबूलाल जाति नाथ निवासी ग्राम रटावद तहसील बारां।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील बारां जिला बारां।

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 90, 91, 92, 188 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :– 9.9.21

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री अरविन्द सिंह हाडा एडवोकेट – वादी
2 श्री राजेन्द्र कुमार सुमन एडवोकेट – प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 90, 91, 92, 188 आर. टी. एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया, कि आराजियात वर्तमान खाता संख्या 175 पुराना 171 में वर्णित आराजियात खसरा नंबर 880 की रकबा 4.14 हेक्टेयर किस्म माल द्वितीय लगानी 49.68 रूपया वाके माल ग्राम रटावद तहसील बारां जिला बारां राजस्थान मे स्थित है, जो राजस्व खातेदारी मे बखाता कमलेश हिस्सा 1/10, जगदीश हिस्सा 1/10, नागेश्वर हिस्सा 1/10, हरलाल हिस्सा 1/10, मिथलेश हिस्सा 1/10 व संतोश हिस्सा 1/10 दर्ज है, तथा इसी काश्त आराजियात वर्तमान खाता संख्या 176 पुराना 171 मे वर्णित खसरा नंबर 107/909 रकबा 2.36 हेक्टेयर का खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:41:35 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

नंबर 96 की रकबा 1.92 हेक्टेयर व खसरा नंबर 97 की रकबा 1.01 हेक्टर कुल तीन किता कुल रकबा 5.29 हेक्टर वाके माल ग्राम रटावद तहसील बारां जिला बारां राजस्थान मे स्थित है, जो राजस्व रिकार्ड खातेदारी मे बखाता अनिल हिस्सा 160/529, भवंरलाल हिस्सा 49/1058, मन्जू बाई हिस्सा 80/529 व हरलाल हिस्सा 1/2 दर्ज है, जिसे आगे विवादित आराजियात के नाम सम्बोधित किया गया है। वाद पत्र मे अंकित आराजियात का बटवारा वादीगण प्रतिवादी क्रमांक 1 के पूर्वजो के समय ही हो चुका था, जिसे करीबन 30–35 वर्ष से भी ज्यादा का अर्सा हो चुका है, तथा उक्त बटवारे मे वादीगण के दादा जी श्योनाथ को आराजी खसरा नंबर 880 की रकबा 4.14 हेक्टेयर प्राप्त हुयी थी, तथा इसी प्रकार प्रतिवादी क्रमांक 1 के दादाजी को आराजीयात खसरा नंबर 107/909 की रकबा 2.36 हेक्टर व खसरा नंबर 96 की रकबा 1.92 हेक्टेयर व खसरा नंबर 97 की रकबा 1.01 हेक्टेयर वाके ग्राम रटावद की प्राप्त हुयी थी, तथा वादीगण ने अपने पिता को आराजियात खसरा नंबर 880 की रकबा 4.14 हेक्टर वाके ग्राम रटावद तहसील बारां पर काश्त करते देखा है, तथा पिता हरलाल की मृत्यु के बाद से उक्त आराजीयात पर वादीगण ही काबिज काश्त करते चले आ रहे है, तथा वर्तमान मे भी उक्त आराजीयात पर वादीगण ही काबिज काश्त है, जिसमें वादीगण ने इस वर्ष गेहूँ की फसल बोयी थी, जो उनकी देखरेख मे परवरिश हो रही है, तथा वादीगण की बहिन कमलेश सहखातेदार की मृत्यु दिनांक 16.01.2020 को हो चुकी है, इसलिए मृतका खातेदार कमलेश के वारिसान को वादी क्रमांक 5 ता 7 के रूप में आवश्यक पक्षकार वादीगण बनाये गये है, जो वादी क्रमांक मे भानेज है, और नाबालिग की ओर से मामा जगदीश को वली बनाया जाकर वाद पत्र माननीय न्यायालय मे पेश है।

न्यायहित वादीगण आराजियात खसरा नंबर 880 की रकबा 4.14 हेक्टेयर वाके माल ग्राम रटावद तहसील बारां जिला बारां राजस्थान के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी क्रमांक 1 भवंरलाल का नाम 1/2 हिस्से से हटवाकर सम्पूर्ण आराजियात खसरा नंबर 880 की रकबा 4.14 हेक्टर वाके ग्राम रटावद तहसील बारां का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे नाम दर्ज करवाने व स्थायी निशेधाज्ञा प्राप्त करने के वैधानिक अधिकारी एवं नालिशी है। क्योकि वादीगण प्रतिवादी क्रमांक 1 भंवरलाल के कब्जे काश्त व खाते की शामलाती आराजियात वर्तमान खसरा नंबर 107/909 की रकबा 2.36 हेक्टेयर व खसरा नंबर 96 की रकबा 1.92 हेक्टेयर व खसरा नंबर 97 की रकबा 1.01 हेक्टेयर कुल किता तीन कुल रकबा 5.29 हेक्टर वाके ग्राम रटावद तहसील बारां से राजस्व रिकार्ड में पिता / हरलाल का नाम 1/2 हिस्से हटाया जाकर 1/2 हिस्से आराजी पर प्रतिवादी क्रम 2 का नाम दर्ज किये जाने मे कोई आपत्ति नही है, क्योकि उक्त 1/2 हिस्से पर भंवरलाल जी का काबिज काश्त है।

वदीगण ने अपने शामलाती खातेदारी की आराजियात खसरा नंबर 880 की रकबा 4.14 हेक्टेयर वाके ग्राम रटावद से [illegible] क्रम 1 से अपना नाम हटाने की कहने पर व प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा दिनांक [illegible] को मना कर दिया। किन्तु प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा खसरा नंबर 107/909 व खसरा नंबर 96 व 97 मे से कुल किता तीन कुल रकबा 5.29 हेक्टर मे से 160/529 हिस्सा अनिल कुमार 80/529 हिस्सा मन्जू को वादीगण की बिना सहमति से बेचान कर दिया तथा अन्य शेष जमीन को भी प्रतिवादी क्रमांक 1 वादीगण के कब्जे काश्त की खसरा नंबर 880 की रकबा 4.14 हेक्टर मे से आराजियात बेचान कर खुर्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:11:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

बुर्द करने पर आमादा है, इसलिए नोटिस मियाद समाप्ति से पूर्व ही यह वाद माननीय न्यायालय मे पेश किया जा रहा है, जिसका धारा 80 सी.पी.सी. का प्रार्थना–पत्र पृथक से पेश है। प्रतिवादी क्रमांक 2 को सर्वोच्च भूस्वामी होने से इस वाद पत्र मे आव यक पक्षकार बनाया गया है। अनिल व मन्जू क्रेतागण से कोई रिलीप नही चली गयी है, इसलिए उन्हे इस वाद पत्र मे पक्षकार नही बनाया गया है। वाद कारण दिनांक 11.03.2020 को प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा वादीगण के कब्जे वाली जमीन से अपना नाम हटाने से मना करने पर बमुकाम रटावद तहसील बारां मे पैदा हुआ है, और वर्तमान मे पेदा हो रहा है। वादी का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा काउन्टर क्लेम पेश किया गया। वादीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन मे नकल जमाबन्दी ग्राम रटावद सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 175, नकल जमाबन्दी ग्राम रटावद सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 176 पेश की गई। साक्ष्य वादी में पी. डब्ल्यू 1 जगदीश के बयान कराये गये, एवं साक्ष्य प्रतिवादी में डी.डब्ल्यू 1 भंवरलाल के बयान कराये गये।

लिखित बहस अभिभाशक उभय पक्षकारान् द्वारा पेश की गई। वकील वादी द्वारा अपनी लिखित बहस मे बताया कि वादीगण ने एकवाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 90, 91, 92 व 188 आर.टी.एक्ट के तहत् पेश किया है, जिसमें प्रतिवादी क्रम 1 कीं ओर से हमवादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का जवाब व प्रति दावा पेश किया है। हमवादीगण ने प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावे को स्वीकार किया है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी कोई विवाद नही है, तथा प्रतिवादी क्रम 1 ने वादीगण का वाद स्वीकार कर लिया है, तथा वादीगण ने प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब व प्रतिदावा का जवाबुल जवाब पेश कर उसे स्वीकार कर लिया है। वाके ग्राम रटावद तहसील बारां के खसरा नंबर 107/909 रकबा 2.36 हेक्टेयर, खसरा नंबर 96 रकबा 1.92 हेक्टेयर, खसरा नंबर 97 रकबा 1.01 हेक्टेयर, कुल 3 किता रकबा 5.29 हेक्टेयर व खाता अनिल पुत्र केसरीचन्द हिस्सा 160/259, भवरलाल पुत्र बाबूलाल हिस्सा 49/1058 मन्जू पत्नी गिरिश कुमार हिस्सा 80/529, हरलाल पुत्र श्योनाथ हिस्सा 1/2 राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है, जिसमें हरलाल पुत्र श्योनाथ, हिस्सा 1/2 का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जाकर उसके स्थान पर 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी भवरलाल का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जावे। इसमे वादीगण को कोई आपत्ति नही है। इसी प्रकार माल रटावद के खसरा नंबर 880 रकबा 4.14 हेक्टेयर व खाता कमलेश पुत्री हरलाल हिस्सा 1/10 जगदीश पुत्र हरलाल हिस्सा 1/10 नागेश्वर पुत्र हरलाल हिस्सा 1/10, भवरलाल पुत्र बाबूलाल हिस्सा 1/2, मिथलेश पुत्री हरलाल हिस्सा 1/10, संतोश पुत्र हरलाल हिस्सा 1/10 जाति नाथ सा.देह खातेदार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है, जिसमें से प्रतिवादी क्रम 1 भवंरलाल पुत्र बाबूलाल हिस्सा 1/2 का नाम राजस्व रिकार्ड से हटा दिया जाकर जिसमें प्रतिवादी क्रम 1 को कोई आपत्ति नही है। उक्त हिस्से पर वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर दिया जावे, जिसमे वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 को कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:11:35 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रतिवादी द्वारा अपनी लिखित बहस मे बताया कि वादीगण ने एकवाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 90, 91, 92 व 188 आर.टी.एक्ट के तहत् पेश किया है,

उप खण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

जिसमें प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से हमवादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का जवाब व प्रति दावा पेश किया है। हमवादीगण ने प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावे को स्वीकार किया है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी कोई विवाद नही है, तथा प्रतिवादी क्रम 1 ने वादीगण का वाद स्वीकार कर लिया है, तथा वादीगण ने प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब व प्रतिदावा का जवाबुल जवाब पेश कर उसे स्वीकार कर लिया है। वाके ग्राम रटावद तहसील बारां के खसरा नंबर 107/909 रकबा 2.36 हेक्टेयर, खसरा नंबर 96 रकबा 1.92 हेक्टेयर, खसरा नंबर 97 रकबा 1.01 हेक्टेयर, कुल 3 किता रकबा 5.29 हेक्टेयर व खाता अनिल पुत्र केसरीचन्द हिस्सा 160/259, भवरलाल पुत्र बाबूलाल हिस्सा 49/1058 मन्जू पत्नी गिरिश कुमार हिस्सा 80/529, हरलाल पुत्र श्योनाथ हिस्सा 1/2 राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है, जिसमें हरलाल पुत्र श्योनाथ, हिस्सा 1/2 का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जाकर उसके स्थान पर 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी भवरलाल का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जावे। इसमे वादीगण को कोई आपत्ति नही है। इसी प्रकार माल रटावद के खसरा नंबर 880 रकबा 4.14 हेक्टेयर व खाता कमलेश पुत्री हरलाल हिस्सा 1/10 जगदीश पुत्र हरलाल हिस्सा 1/10 नागेश्वर पुत्र हरलाल हिस्सा 1/10, भवरलाल पुत्र बाबूलाल हिस्सा 1/2, मिथलेश पुत्री हरलाल हिस्सा 1/10, संतोश पुत्र हरलाल हिस्सा 1/10 जाति नाथ सा.देह खातेदार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है, जिसमें से प्रतिवादी क्रम 1 भवंरलाल पुत्र बाबूलाल हिस्सा 1/2 का नाम राजस्व रिकार्ड से हटा दिया जावे, जिसमें प्रतिवादी क्रम 1 को कोई आपत्ति नही है। उक्त हिस्से पर वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर दिया जावे, जिसमे वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 को कोई आपत्ति नही है।

बहस अभिभाशक उभय पक्षकारान् सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम रटावद तहसील बारां सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 175 के अनुसार वादीगण का 1/10, 1/10 हिस्सा एवं प्रतिवादी क्रम 1 भवरलाल का हिस्सा 1/2 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी ग्राम रटावद सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 176 के अनुसार अनिल पुत्र केसरीचन्द का हिस्सा 160/529 प्रतिवादी भवरलाल का हिस्सा 49/1058, मंन्जू पत्नी गिरिश हिस्सा 80/529, हरलाल पुत्र श्योनाथ हिस्सा 1/2 दर्ज होना पाया जाता है। इससे यह साबित होता है, कि विवादित आराजीयात में वादी एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। वादी एवं प्रतिवादीगण ग्राम रटावद के खसरा नंबर 880 रकबा 4.14 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादी क्रम 1 भवरलाल के हिस्से में 1/2 भूमि दर्ज है, जिसमें से अपना नाम खारिज कराकर वादीगण के खातेदारी मे दर्ज कराना चाहते है। इसी प्रकार ग्राम रटावद के खाता संख्या 176 के कुल खसरा नंबर 3 किता रकबा 5.29 हेक्टेयर मे हरलाल का हिस्सा 1/2 दर्ज है, जिसमें से वादीगण अपने पिता का नाम हटवाकर प्रतिवादी क्रम 1 भवरलाल के खातेदारी मे दर्ज कराना चाहते है। प्रस्तुत रिकार्ड से यह साबित होता है, कि वादीगण के पिता हरलाल का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी क्रम 1 भवरलाल का हिस्सा 1/2 दर्ज होना पाया जाता है [illegible] प्रतिवादी क्रम 1 खाता संख्या 175 से भवरलाल का नाम एवं खाता संख्या 17[illegible] हरलाल का नाम खारिज कराकर अपने–अपने खातेदारी में दर्ज करवाना चाहते है। वादी एवं [illegible] क्रम 1 का उक्त खातो मे से नाम खारिज किया जा सकता है, परन्तु [illegible] प्रतिवादी क्रम 1 खाता संख्या 175 व 176 मे अपना–अपना नाम दर्ज करवाना चाहते है, जिसका [illegible]बा सामान नही होने के कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:11:35 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 को सामान रकबे से अधिक रकबा की वर्तमान डीएलसी दर से स्टाम्प ड्यूटी जमा करने पर वादीगण एवं प्रतिवादी को खातेदारी अधिकार दिया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचानुसार वादीगण का वाद एवं प्रतिवादी क्रम 1 का जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम रटावद तहसील बारां के खसरा नंबर 880 रकबा 4.14 हेक्टेयर भूमि से प्रतिवादी क्रम 1 का नाम खारिज किया जाता है, तथा वादीगण को प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से 1/2 पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। इसी प्रकार ग्राम रटावद के खाता संख्या 176 के खसरा नंबर 3 किता रकबा 5.29 हेक्टेयर, भूमि से वादीगण के पिता हरलाल पुत्र श्योनाथ का नाम खारिज किया जाता है, तथा प्रतिवादी क्रम 1 को वादीगण के पिता हरलाल के हिस्से की भूमि 1/2 पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। प्रतिवादी क्रम 1 को समान रकबे से अधिक भूमि की वर्तमान डीएलसी दर से स्टाम्प ड्यूटी जमा कराने पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:11:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

ालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 44/2020	धारा 888,89,90,91,92,188,आर टी एक्ट निर्णय दिनांक : 09.09.2021
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां	
उपस्थिति :अभिभाषक वादी:– अरविन्दसिंह हाडा	अभिभाषक प्रतिवादी:– श्री राजेन्द कुमार सुमन

वाद शीर्षक

उनवान

1. जगदीश पुत्र श्री हरलाल जाति नाथ
2. नागेश्वर पुत्र श्री हरलाल जाति नाथ निवासीगण ग्राम रटावद तहसील बारां
3. श्रीमति मिथलेश पुत्री हरलाल पत्नी श्री हेमराज जाति नाथ निवासी रटावद तहसील बारां हाल निवासी बिलासद तहसील खानपुर जिला झालावाड़
4. श्रीमति संतोष पुत्री हरलाल पत्नी श्री महेश जाति नाथ निवासी ग्राम रटावद तहसील बारां हाल निवासी माथना तहसील बारां।
5. कार्तिक
6. भारती
7. आरती पुत्रियां रामप्रताप जाति नाथ नाबालिग जरिये वली मामा जगदीश पुत्र श्री हरलाल

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादीगण का वाद एवं प्रतिवादी क्रम 1 का जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम रटावद तहसील बारां के खसरा नंबर 880 रकबा 4.14 हेक्टेयर भूमि से प्रतिवादी क्रम 1 का नाम खारिज किया जाता है, तथा वादीगण को प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से 1/2 पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। इसी प्रकार ग्राम रटावद के खाता संख्या 176 के खसरा नंबर 3 किता रकबा 5.29 हेक्टेयर, भूमि से वादीगण के पिता हरलाल पुत्र श्योनाथ का नाम खारिज किया जाता है, तथा प्रतिवादी क्रम 1 को वादीगण के पिता हरलाल के हिस्से की भूमि 1/2 पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। प्रतिवादी क्रम 1 को समान रकबे से अधिक भूमि की वर्तमान डीएलसी दर से स्टाम्प ड्यूटी जमा कराने पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 09.09.2021.को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी,
बारां

उप खण्ड अधिकारी
बारां

		व्ययानुतोष	
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:11:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner